

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय:-

भ्रष्टाचार में लिप्त मथुरा जनपद की तहसील छाता में कार्यरत तहसीलदार श्री सचिन पवार के खिलाफ भ्रष्ट आरोपों की जाँच ए०डी०एम० स्तर के अधिकारी से कराकर एफ०आर० कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

भारतीय जनता पार्टी का एक सामाजिक कार्यकर्ता है।

निवेदन है कि मौजा शेरगढ बांगर तहसील छाता जिला मथुरा के खसरा नम्बर 674 में ता० 14.03.2003 को भोलू व शहीद पुत्रगण मंगतू जाति फकीर निवासी शेरगढ के नाम 100-100 वर्गगज के आवासीय पट्टे हुये थे। वर्ष 2003 से वर्ष 2023 यानि 23 वर्षों तक उक्त आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और न कोई भवन निर्माण ही हुआ। जबकि ग्राम सभा भूमि प्रबन्धक समिति मैनुअल नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति के अलावा अन्य किसी जाति को आवंटित भूमि पर अगर तीन साल तक कब्जा नहीं होता है तो पट्टा स्वतः निरस्त माना जाता है। उक्त दोनों आवास आवंटियों द्वारा दिनांक 14.10.2023 को एक भूमाफिया करतार सिंह पुत्र जल सिंह निवासी पीरपुर तहसील छाता ने अपने नाम दोनों पट्टेदारों से रजिस्टर्ड बैनामा अपने नाम करा लिये गये थे तथा तारीख 13.07.2026 को करतार सिंह ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, छाता श्री सचिन पवार को 83.61 वर्गमी० भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु दिया जिस पर तहसीलदार महोदय ने भूमाफिया करतार सिंह से मोटी रकम लेकर प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार, चौमुहों को निर्देशित कर तारीख 04.08.2026 को नायब तहसीलदार रुबी यादव के साथ स्वयं तहसीलदार, छाता सचिन पवार ने स्वयं मौके पर जाकर शेरगढ-नौहशील मुख्य मार्ग पर उक्त भूमाफिया को गाटा सं० 627 रकवा 0.506 है० जो कि रिकॉर्ड कागजात वृक्षारोपण (सैद्धांतिक भूमि) है, में रोड के सहारे वेश कीमती करोड़ों की लगभग 400 वर्गगज से अधिक भूमि की पैमाइश कर अवैध कब्जा करा दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवास आवंटियों को खसरा नम्बर 674 में आवंटन हुआ था इसका पत्रावली में इनके नाम क्रमांक 146 व 149 पर दर्ज हैं तथा आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्सा में आवंटन उक्त लोगों का खसरा सं० 494 में दर्शाया गया था। तहसीलदार श्री सचिन पवार द्वारा उक्त भूमाफिया से मोटी रकम लेकर कराये गये अवैध करोड़ों रुपये की भूमि पर भूमाफिया द्वारा पाँच वाणिज्यिक 5 दुकानें तथा शेष जमीन पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा कर लिया है। महोदय तहसीलदार, छाता सचिन पवार ने क्षेत्र में अनेकों भू-माफियाओं से मोटी रकम लेकर ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जे करा दिये हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पूरे प्रकरण की जाँच सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी द्वारा न कराकर क्योंकि सम्बन्धित तहसील उप-जिलाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से किसी अपर जिलाधिकारी महोदय के स्तर के अधिकारी से कराकर दोषी तहसीलदार श्री सचिन पवार के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराई जाय तथा उक्त भूमाफिया द्वारा वृक्षारोपण भूमि पर किये कब्जे को कब्जा मुक्त कराकर कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक:-21.08.2026

संलग्नक:-

- 1-आवास आवंटियों के पट्टों की छायाप्रति।
- 2-भूमाफिया द्वारा पैमाइश हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।
- 3-आवास आवंटन पत्रावली व नक्सा की छायाप्रति।
- 4-ग्राम सभा भूमि सम्पत्ति मैनुअल नियमावली की छायाप्रति।
- 5-वृक्षारोपण खतौनी की छायाप्रति।

मनीराम पाठक
प्रार्थी

मनीराम पाठक पुत्र वेदराम पाठक

(समाज सेवी)

निवासी-सुरीरकलॉ पोस्ट सुरीरकलॉ

जनपद मथुरा।

मो०नं०-9084162161



जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:- 40014526035258

लाभार्थी का विवरण

नाम	MANIRAM PATHAK	पिता/पति का नाम	VEDRAM PATHAK
मोबाइल नंबर(१)	9084162161	मोबाइल नंबर(२)	
पता	SURIRKALAN POST SURIRKALAN MATHURA		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	भ्रष्टाचार में लिप्त मथुरा जनपद की तहसील छाता में कार्यरत तहसीलदार श्री सचिन पवार के खिलाफ भ्रष्ट आरोपों की जाँच ए०डी०एम० स्तर के अधिकारी से कराकर एफ०आर० कराने के सम्बन्ध में		
संदर्भ दिनांक	21-08-2026	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	0,0
विभाग	राजस्व एवं आपदा विभाग	शिकायत श्रेणी	सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब, खतिहान, शमशान, खेल का मैदान, आरक्षित भूमि आदि पर कब्जा/ अतिक्रमण

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	राजस्व ग्राम- सुरीर कलां बांगर, ग्राम पंचायत- सुरीर कलां , विकास खण्ड- नोहड़ीत, तहसील- मांट, जिला- मथुरा
-----------------------	--

(150)

ज० वि० आकार पत्र ४६ ब

[देखिये नियम 115 ठ (3)]

मैं ~~राम सिंह~~ ~~पुष्पा~~ ~~वसुधा~~ ~~का~~ ~~तहसील~~ ~~छाता~~ ~~जिला~~
पुष्पा को भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (परगना ~~छाता~~ ~~जिला~~ ~~पुष्पा~~)
का अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर प्रमाणित करता हूँ कि श्री ~~मोहन~~
आत्मज ~~मोहन~~ ~~निवासी~~ ~~ग्राव~~ ~~शेरगढ़~~ को
बगैर नोटिस के जिसका ज्योरा नीचे दिया गया है आवादी स्थल प्रबिष्ट किया गया है
वर्द्धन प्रहोता ने समिति को रसीद संख्या ~~...~~ दिनांक ~~...~~

द्वारा ~~...~~ रुपये नकद के रूप में दिया है।

मास ~~...~~ परगना ~~...~~ तहसील ~~...~~ जिला ~~...~~

गारा संख्या ~~...~~

सफल ~~...~~

1-1-1946 10-3-46

उत्तर
वर्द्धन
पूर्व
पश्चिम

10-3-46

20/1/03

तारीख

अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति

ग्राव ~~...~~

मुख्य ग्राव दफा



131
10 वि० आकार पत्र ४६ च

[देखिये नियम 115 ठ (3)]

मैं रामासिंह प्रधान वसुधा को भूमि बन्धक सचिब का अध्यक्ष (परपना दाता) बिना का अधिकापी असिस्टेंट कलक्टर प्रमाणित करता हूं कि श्री सचीद आत्मब मंगल निवासी ग्राम डोरगढ को बर्गमोटर नाम में जिसका ज्योरा नीचे दिया गया है खादादी क्यल प्रबिष्ट किया गया है प्रदेश सहोता ने सचिब को रसीद संख्या दिनांक द्वारा रुपये नबरावे के रूप में दिया है।

ग्राम डोरगढ परपना सहोत बिना मधुरा राटा संख्या ६७ सत्रफल

लीजार्ड १०-३०३

उत्तर]
दक्षिण]
पूर्व]
पश्चिम]

20/11/03
ताबीख

अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक सचिब
ग्राम डोरगढ

मुख्य प्रास सभा



जीगा- तहसीलदार महोदय- छाता मधुप

विषय - कक्षा दिनांक के सन्दर्भ में प्राप्ति पत्र।

महोदय

निवेदन यह कि प्रार्थी करता है ॥० जलसिंह, नि-पौरपुर
तह०. छाता, जिला- गण्डुप। गुप्त प्रार्थी ने दो किता खाली झुण्ड
जिसका फे० फल - ८३.६। स्वसय सं ६७५ का भाग मॉजा - शेणाद -
पेख - चोरोहे से जीर्णोद्धार मार्ग मगुना पुल तक, तह० छाता मगुप को
सहीद ॥० गंगत व भोल ॥० मंगत निगठ - शेणाद, तह० छाता
जिला- गण्डुप से वजरिये बनागा दिनांक ९-१०-२०२३ को हम दिना
या जिसको गांव के देवा व भूगण्डिया स्थित के व्यक्तियों ने मज्जा
रखा है, जिससे गुप्त प्रार्थी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़
रहा है उक्त देवा व भूगण्डियाओं ने खुले में एलन कर दिया
है अगर इस जमीन की तरफ आज उठाकर देखा तो तुझे व
तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि राजस्व रीय
की सहायता से कृष्णा मुक्त करावे व मुझे दखल
दिलावे, मेरे व मेरे परिवार की जान बाल वी सुरक्षा करने
की कृपा करें।

प्राची

७२६१२ श्री कस्तूर ड० पलसिंह
वि. पीरपुर, तह० हता
जिला - मधुप
मो० - ९९९७५४६९२८

NT / ~~Kin~~ / Shwoborov

हवं लोम वनाक रण
शेखर डू नो ह
५७ / प्र- 6-200 ने
लाना, किं ग्राफ
200 से 80 गुलाब के
(Chemical Nucleus)
प्रति 100 ग्राम

1971
1972
1973

1.3/07/2026

1/31

8780

केंद्रित वृत्तवातात नाग बाहेरी बाहेरी 10/3/03

- 1-काल ना होत आ.वा.स.
- 2-कितीतुन वृत्त वाता आ.वा.स.
- 3-काल ना होत जमनाला
- 4-काल ना होत 10/3/03
- 5-काल ना होत 2/2/06 वांगर
- 6-काल ना होत बावा
- 7-मुद्रावई 121 पट्टेदार
- 8-मुद्रावई उपजला दिमारी
- 9-काल ना होत बावा
- 10-काल ना होत बावा

काल ना होत वृत्त वातात नाग बाहेरी बाहेरी

काल ना होत वृत्त वातात नाग बाहेरी बाहेरी

काल, जिथे मत्वा (वे) वृत्त वातात नाग बाहेरी बाहेरी

काल, जिथे मत्वा (वे) वृत्त वातात नाग बाहेरी बाहेरी

लिखित वृत्त वातात	किती वृत्त वातात	काल ना होत		काल ना होत	काल ना होत	काल ना होत
		काल ना होत	काल ना होत			
1- <u>आ.वा.स.</u>	01	-	-	-	-	-
2- <u>आ.वा.स. 12, त.वृत्त वातात</u>	02	-	-	-	-	-
3- <u>आ.वा.स. जमनाला</u>	01	-	-	-	-	-
4- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	06	-	-	-	-	-
5- <u>काल ना होत 2/2/06</u>	09	-	-	-	-	-
6- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	03	-	-	-	-	-
7- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	01	-	-	-	-	-
8- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	03	-	-	-	-	-
9- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	01	-	-	-	-	-
10- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	01	-	-	-	-	-
11- <u>काल ना होत 10/3/03</u>	01	-	-	-	-	-

किती (29)

काल ना होत वृत्त वातात नाग बाहेरी बाहेरी

सहस्रवर्ष / उद्योगिक क्रांति

मंडी ५५,

संयोजन पत्रावली आवास आवंटन योजना के अंतर्गत गठबंधन
 की गयी / पत्रावली में निर्दिष्ट प्रत्येक एक स्थापित जमीन
 दिनांक 10-01-03 को मिलने वाले हैं / वहां दिनांक 1.5.1-03 को
 १० म.० स.दि. के लिए बांटी (बि.क.) सामुदायिक भवन पर
 की गयी / सड़कों की उपायों को अंतर्गत में रखते हुए
 काम की गयी / वहां के पत्रावली का काम मीटिंग में
 मान्यता के लिए सड़कों को बांटी की काम का के
 काया पर वे पत्रावली के, सड़कों ५१-५५ को स्थापन
 मिल सम्पत्ति के किता गया / जिसमें 1११ अर्धियों के
 आवास आवंटन के पत्र माना गया है

कै. क्रांति आवंटन पत्रावली को स्थापित जमीन
 काम के पत्रावली के अंतर्गत में की गयी / जिसकी
 आपत्ति सड़कों ५१-५५ के निर्माण में दर्जित गया है / अ
 आवास आवंटन नियम के अंतर्गत काम है / इस प्रकार
 रोम पत्रावली [1२1] रहे / जिसकी काम से पत्रावली निम्न पत्रावली
 दर्जित गयी है, एवं सड़कों के सामने (बांटी) का
 निर्माण लगाया है / वहां अर्धियों पर X (अ.क.) का निर्माण है

पत्रावली में का क्रमः — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46,
 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107,
 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127,
 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163,
 164, 167, 168, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

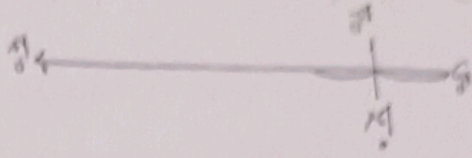
(P.T.O)

NT(61/1)

3

135	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	70
136	પ્રેમ વેલ મગવાનદાઈ	ગાંધી	494	500	50L	39
137	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	111
138	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	139
139	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	112
140	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	140
141	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	513	1000	50L	113
142	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	886	1000	50L	16
143	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	513	1000	50L	114
144	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	886	1000	50L	17
145	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	18
146	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	19
147	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	20
148	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	21
149	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	22
150	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	23
151	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	24
152	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	25
153	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	674	1000	50L	26
154	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	27
155	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	28
156	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	29
157	મોખાઈ ડાંગર	મોખાઈ	494	1000	50L	30

મોખાઈ ડાંગર



27
29
31
32
33
34
35

103	85	84
	86	
102	87	83
	88	
101	89	82
	90	
100	91	81
	92	
99	93	80
	94	
98	95	79
	96	
97		78
96		77
		76
		75
		74
		73
		72
		71

10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
19	22
20	23
21	24
22	25
23	26
24	27
25	28
26	29
27	30
28	31
29	32
30	33
31	34
32	35
33	36
34	37
35	38
36	39
37	40
38	41
39	42
40	43
41	44
42	45
43	46
44	47
45	48
46	49
47	50
48	51
49	52
50	53
51	54
52	55
53	56
54	57
55	58
56	59
57	60
58	61
59	62
60	63
61	64
62	65
63	66
64	67
65	68
66	69
67	70
68	71
69	72
70	73
71	74
72	75
73	76
74	77
75	78
76	79
77	80
78	81
79	82
80	83
81	84
82	85
83	86
84	87
85	88
86	89
87	90
88	91
89	92
90	93
91	94
92	95
93	96
94	97
95	98
96	99
97	100

70	38
69	39
68	40
67	41
66	42
65	43
64	44
63	45
62	46
61	47
60	48
59	49
58	
57	50
56	51
55	52
54	53
53	54

123	127
124	128
125	139
126	140
127	141
128	142
129	143
130	144
131	145
132	146
133	147
134	148
135	149
136	150

1697

151
152
153

125	126	127
-----	-----	-----

470/2

D2 D3

D4

4/13/21

53. धारा 122-ग(8) उ०प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा हटा दी गयी किन्तु पुरानी धारा इस प्रकार है—अधिनियम की धारा 122-ग(8)—परगने का प्रभारी कलेक्टर स्वप्रेरणा से अथवा इस हेतु उसके समक्ष किये गये किसी आवेदन पर भूमि के किसी आबंटन के अथवा परिच्छेद 47, 48 अथवा 49 के अधीन किये गये अन्य आदेशों निष्पादित करने का आदेश दे सकेगा, उसके धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वेदखली अथवा उसका कब्जा पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आबंटिती अथवा ग्राम सभा की किसी ऐसी भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आबंटिती अथवा ग्राम सभा किसी ऐसी भूमि के कब्जे का परिदान करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा अथवा करवा सकेगा, जो आवश्यक हो।

54. गृह तीन वर्ष के भीतर बनाये जायेंगे (Houses to be built within three years)—नियमावली का नियम 115-थ—जिस व्यक्ति को आबादी स्थल आबंटित किया जाय उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह आबंटन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर मकान बना ले तथा उसमें रहना अथवा उसे काम में लाना प्रारम्भ कर दे, जिसके लिए वह बनाया गया हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा किसी समय उसका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है, तो उसके अधिकार समाप्त हो जायेंगे तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस स्थल को अपने अधिकार में ले सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के व्यक्ति की स्थिति में मकान बनाने के लिए उपर्युक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।

टिप्पणी

उपर्युक्त उपबन्ध मात्र विधिक स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी कार्यवाही को प्रारम्भ करने के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। नियम 115-द के अनुपालन अथवा अन्यथा के बारे में विहित अधिकारों का अभिनिर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।¹

55. नियमावली का नियम 115-द—(1) यदि कोई भूमि या स्थल नियम 115-ठ से 115-थ के अनुसार प्रदिष्ट किया जाय और उस पर मकान बनाया जाय तो, उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रदेशनग्रीता को प्रदेशन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी भूमि, स्थल या मकान का संक्रमण करने का कोई अधिकार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दस वर्ष की अवधि के सम्बन्ध में निर्बन्धन मृत प्रदेशनग्रीता कसे दायादों पर लागू नहीं होंगे।

56. नियमावली का नियम 11-ड—(2) नियम 115-ठ से 115-थ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये भूमि या स्थल के समस्त प्रदेशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्—

- (क) प्रदेशनग्रीता और उसके दायादों का इस प्रकार प्रदिष्ट भूमि या स्थल पर दाप योग्य हित होगा;
- (ख) प्रदेशनग्रीता और उसके दायाद बेदखली के योग्य न होंगे;
- (ग) उत्तराधिकार ऐसी स्वीय विधि द्वारा जिसके अधीन प्रदेशनग्रीता था, नियंत्रित होगा;
- (घ) प्रदेशनग्रीता इस प्रकार प्रदिष्ट भूमि या स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिये नियम 115-ठ से 115-थ के अधीन प्रदिष्ट भूमि या स्थल में अपने स्वत्व

1. आर० बनाम डी०, 1984 आर०डी० 88।

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रती)

20/August/2025 02:57:49 AM

जनपद : मधुप

तहसील : छाला

ग्राम : शेरगढ़ बागर

ग्राम कोड : 123678

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

खाला संख्या : 00847

श्रेणी : 6-4/जे अन्य कारणा से अंकित हो।

शेफी : 6-4/वे अन्य कारणों से अकुचित हो ।			
खालदार का विवरण		खालदारी प्रारम्भ होने का विवरण	
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/चिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष
627	1) वृक्षरोपण / --- / वि. ग्राम		
कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।			
627 (1236780627000064)			
खालदार का अंश			
(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खालदार द्वारा देय भू-राजस्व
0.5060	1) 1/1	1) 0.5060	0.00

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : भूदा दशमलव पांच भूदा छह भूदा (हिटेपर)	कुल भू-रानस : भूदा दशमलव भूदा भूदा रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : भूदा दशमलव पांच भूदा छह भूदा (हिटेपर)
---------------	---	--	--